दिनांक 17-6-2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व अन्य अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य आपस में समझौता मौखिक तौर पर हो जाने से उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। जिससे अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट कल्याणसिंह की पहचान उनके अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा की गई। पत्रावली आदेश हेतु लंबित है एवं अब चूंकि पक्षकारों में आपसी समझौता से सहमति बनने से अपीलांट उक्त अपील को खारिज विड्रॉल प्रार्थना पत्र लेना चाहता है। जिससे अपील अपीलांट खारिज विड्रॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है। मिसल क्रमशः शुमार होकर नंबर से कम हो।